न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 260 / 2023

उनवान

सिद्धार्थ पेमावत पुत्र गोपीलाल पेमावत(जैन) निवासी 06–ए–23, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर भीलवाड़ा
– प्रार्थी

बनाम

1– मु. कमल कंवर पत्नी विजयसिंह राजपूत निवासी लूलास तहसील शाहपुरा
2– कालूलाल पुत्र दूदा गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
3– नाथू पुत्र गोकल भील निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
4– रामस्वरूप पुत्र देवा जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
5– कमलादेवी पत्नी महेन्द्र जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
6– जगदीश पुत्र गोपी जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
7– मुकेश पुत्र रामकुंवार जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
8– राजेश पुत्र उरजन जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
9– रामेश्वर पुत्र उरजन जाट निवासी धांगड़ा का खेड़ा लुलास तहसील शाहपुरा
10– शुद्धात्मा प्रकाश पुत्र पवन कुमार जैन निवासी बी–365, शास्त्री नगर भीलवाड़ा
11– शिल्पा पत्नी निर्मल चौधरी निवासी 76 / 771, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा
– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21/02/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **लूलांस पटवार हल्का लुलास** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 1029 रकबा 3.80 है0, 1042 रकबा 0.70 है0, 1043 रकबा 0.87 है0, 1044 रकबा 0.88 है0, 1675 / 1059 रकबा 0.59 है0** कुल किता **5** रकबा **6.84** हैक्टेयर का प्रार्थी **सहखातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 10, 11** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम लूलांस पटवार हल्का लुलास संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के सहखातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **लूलांस** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **सहखातेदारी** की आराजीयात् किता **5 रकबा 6.84 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2600 /– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा